

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर०एम०ए० वाद सं०-०४/२००३

०५/२००३

मो० सुलतान

बनाम

जय कुमार मंडल वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
21.03.2013	<u>आदेश</u> यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी के बन्दोवस्ती वाद सं०-५७/२०१२-१३ में बन्दोवस्ती के विरुद्ध दायर किया गया है। इस बन्दोवस्ती के विरुद्ध एक ओर अपीलकर्ता दयानन्द अग्रवाल के द्वारा अपील वाद सं०-०५/२००८ दयानन्द अग्रवाल बनाम भजन मंडल दायर किया गया है। जो सुनवाई हेतु दोनों अपील वाद को एक साथ सम्मिलित किया गया है। संक्षेप में मामला यह है कि पाकुड़ अंचल अन्तर्गत मौजा-पियादापुर नं०-१२१ के जमाबन्दी नं०-०५ के दाग नं०-१५२ के रकवा ०-१५-१५ धूर एवं दाग नं०-१६२ का रकवा ०-१६-१९ धूर जमीन की बन्दोवस्ती से संबंधित है। अपीलकर्ता का कहना है कि वर्णित दोनों दाग की जमीन उनके पूर्वजों को बन्दोवस्ती के द्वारा प्राप्त हुआ है। लेकिन अपीलकर्ता को बिना सूचना दिये अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा प्रश्नगत जमीन उत्तरवादी को बन्दोवस्ती कर दिया गया है। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। उनका कहना है कि मौजा-पियादापुर नं०-१२१ के दाग नं०-१५२ रकवा ०-१५-१५ धूर एवं दाग नं०-१६२ रकवा ०-१६-१९ धूर कुल रकवा १-१२-१४ धूर जमीन जो सरकारी अनाबादी गड़िया (Pond) जमीन है। उक्त दोनों दाग की जमीन अब्दुल मजीद, पिता-रसूल बक्स, हरिणडांगा बाजार, पाकुड़ को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ से बन्दोवस्ती के द्वारा प्राप्त हुआ है एवं नामान्तरण वाद सं०-२४१/१९५६-५७ एवं ९३/१९५७-५८ के द्वारा नामान्तरण भी हुआ है एवं राजस्व लगान भी दे रहे हैं। वर्णित जमीन अपीलकर्ता को उनके हिस्से में प्राप्त हुआ है। दाग नं०-१६२ बन्दोवस्ती जमीन स्वरूप का परिवर्तन नहीं हुआ है। इस दाग की गड़िया (Pond) की पानी से अपीलकर्ता अपनी जमीन दाग नं०-१७१, १७३ एवं १७४ का सिंचाई में उपयोग करते हैं। लेकिन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बिना सूचना के तथा पूर्व बन्दोवस्ती का रद्द किये बिना अंचल अधिकारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर बन्दोवस्त कर दिया गया जो नियमतः गलत है। इनके द्वारा बन्दोवस्ती को खारिज करने का अनुरोध किया गया। इस अपील वाद के साथ सम्मिलित आर०एम०ए० वाद सं०-	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	
	05/2003 के अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा मौजा-पियादापुर के दाग नं०-152 एवं अन्य दागों की जमीन बन्दोवस्ती के लिए दिनांक 25.07.2002 को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष आवेदन दिया गया था तथा उत्तरकारी के द्वारा भी दाग नं०-152 की जमीन बन्दोवस्ती हेतु आवेदन दिया गया था। जिसका बन्दोवस्ती वाद सं०-27/2002-03 संस्थित करते हुए अंचल अधिकारी, पाकुड़ से प्रतिवेदन मांगा गया है जो अभी तक जांच प्रतिवेदन के लिए लंबित है। इनका कहना है कि जब अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी दोनों के द्वारा एक ही जमीन को बन्दोवस्ती के लिए आवेदन दिया गया तो वाद को एक साथ सम्मिलित कर सुनवाई किया जाना चाहिए। इनका दावा है कि दाग नं०-152 की जमीन के बगल में उनका जमीन है, इसलिए इनका अग्राधिकार है। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सूना गया। उनका कहना है कि पाकुड़ बाईपास रोड के लिए उत्तरवादी का अपना 1-6-0 धूर (एक बीघा छः कट्ठा) जमीन अधिग्रहण कर रोड निर्माण किया गया है। इसके लिए इन्हें कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हुई है। तत्कालीन उपायुक्त के मौखिक अश्वासन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी से प्रश्नगत जमीन बन्दोवस्ती द्वारा प्राप्त हुई। दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन के पश्चात अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना कि उनके पूर्वजों के नाम से वर्णित जमीन वर्ष 1956 में बन्दोवस्ती दी गई है एवं नामान्तरण भी हुआ है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के संबंधित बन्दोवस्ती अभिलेख नष्ट हो जाने की बात कही गई। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में की गई बन्दोवस्ती तथा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के जांच प्रतिवेदन में पूर्व में की गई बन्दोवस्ती का कोई जिक्र नहीं है। अतः विचारोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को पूर्ण जांच कर नियमानुसार आदेश पारित करने हेतु वाद को रिमाण्ड किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। उ पा यु क्त, पाकुड़। उ पा यु क्त, पाकुड़।

Seen
8-4-13
AK